



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 32/2020

दायर दिनांक 20.11.2020

बारी	प्रतिवादीगण
<p>1. धामू पत्नि जगदीश जाति मेहत्तर उम्र 54 वर्ष</p> <p>2. रामकरण पुत्र सोहनाराम जाति मेहत्तर उम्र 47 वर्ष</p> <p>3. तीजू पत्नि रामकरण जाति मेहत्तर उम्र 45 वर्ष समस्त निवासी मूरडाकिया तह. सुजानगढ़, जिला-सुजानगढ़, राजस्थान।</p>	<p>1. सन्तारा पत्नि गिरधारीराम जाति मेहत्तर उम्र 65 वर्ष</p> <p>2. पूर्णी पत्नि भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 70 वर्ष</p> <p>3. बनवारी लाल पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 50 वर्ष</p> <p>4. माणकचन्द पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 48 वर्ष</p> <p>5. नेमीचन्द पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 46 वर्ष</p> <p>6. गोविन्द पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 30 वर्ष</p> <p>7. अशोक पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 25 वर्ष</p> <p>8. मुकेश पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 22 वर्ष</p> <p>9. विमला पुत्री भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 52 वर्ष</p> <p>10. शारदा पुत्री भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 35 वर्ष</p> <p>11. सरोज पुत्री भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 33 वर्ष समस्त निवासीगण नुवां तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।</p> <p>12. ममता पुत्री सुशीला पुत्री स्व. भंवर भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 15 वर्ष</p> <p>13. संध्या पुत्री सुशीला पुत्री स्व. भंवर भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 12 वर्ष</p> <p>14. मुकेश पुत्र सुशीला, स्व. भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 10 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता प्रकाश पुत्र प्रभूराम जाति मेहत्तर उम्र 45 वर्ष निवासी सरुडी, तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान।</p> <p>15. तहसीलदार डीडवाना।</p>

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

उपस्थित:-

1. श्री जमनलाल जांगिड़ वकील वादीगण।
2. श्री हरदीनराम जाखड़ वकील प्रतिवादी सं० 08 ता 11
3. श्री भैरोसिंह वकील प्रतिवादी सं० 02, 03, 07 ता 11

-:: निर्णय ::-

दिनांक 08.01.2021

सरहद नुवां में स्थित संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं० 125 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा सं० 126 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा सं० 127 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा सं० 128 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 23.12.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 321 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 321 दिनांक 08.01.2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद नुवां में स्थित संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं० 125 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा सं० 126 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा सं० 127 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा सं० 128 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 321 दिनांक 08.01.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 321 दिनांक 08.01.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

1580
(अशुल सिंह) हैक्टर
बी.एस. (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को सारे इजलास में

सुनाया गया।

1580
(अशुल सिंह) हैक्टर
बी.एस. (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 32/2020

दायर दिनांक 20.11.2020

वादी	प्रतिवादीगण
1. धापू पत्नि जगदीश जाति मेहत्तर उम्र 54 वर्ष	1. सन्तरा पत्नि गिरधारीराम जाति मेहत्तर उम्र 65 वर्ष
2. रामकरण पुत्र सोहनाराम जाति मेहत्तर उम्र 47 वर्ष	2. पूर्णी पत्नि भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 70 वर्ष
3. तीजू पत्नि रामकरण जाति मेहत्तर उम्र 45 वर्ष समस्त निवासी मूरड़ाकिया तह. सुजानगढ़, जिला-चुरू, राजस्थान।	3. बनवारी लाल पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 50 वर्ष
	4. माणकचन्द पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 48 वर्ष
	5. नेमीचन्द पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 46 वर्ष
	6. गोविन्द पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 30 वर्ष
	7. अशोक पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 25 वर्ष
	8. मुकेश पुत्र भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 22 वर्ष
	9. बिमला पुत्री भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 52 वर्ष
बनाम्	10. शारदा पुत्री भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 35 वर्ष
	11. सरोज पुत्री भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 33 वर्ष समस्त निवासीगण नुवां तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।
	12. ममता पुत्री सुशीला पुत्री स्व. भंवर भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 15 वर्ष
	13. संध्या पुत्री सुशीला पुत्री स्व. भंवर भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 12 वर्ष
	14. मुकेश पुत्र सुशीला, स्व. भंवराराम जाति मेहत्तर उम्र 10 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता प्रकाश पुत्र प्रभूराम जाति मेहत्तर उम्र 45 वर्ष निवासी सरूडी, तहसील धोद, जिला सीकर, राजस्थान।
	15. तहसीलदार डीडवाना।

15/11/20
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 08.01.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री जमनलाल जांगिड़ वकील वादीगण, श्री हरदीनराम जाखड वकील प्रतिवादी सं० 08 ता 11 व श्री भैरोसिंह वकील प्रतिवादी सं० 02, 03, 07 ता 11 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद नुवां में स्थित संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं० 125 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा सं० 126 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा सं० 127 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा सं० 128 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 321 दिनांक 08.01.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 321 दिनांक 08.01.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
करें। बसबत मेरे दस्तख्त व

मुहर अदालत के आज की तारीख 08.01.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

15580
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह राबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुताफरिफ		
हुक्मनामा					
मुताफरिफ			मिजान		
मिजान					

नोट: इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

15580
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)